<u>**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा**</u>
<u>पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.</u>

प्रकरण संख्या : 65/2016 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2016/00168

उनवान

1– श्रीमती रामभरोसी बाई पत्नि श्री धनश्याम जाति बागडी निवासी ग्राम पोलाईखुर्द तह0 दीगोद,जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1– श्रीमती अल्का पत्नि श्री राजेन्द्र बोहरा जाति पंजाबी निवासी स्टेशन कोटा।

2– श्री चोथमल आ0 पुष्पचद मीणा निवासी पोलाईखुर्द,जिला कोटा।

3– रामकुमार आ0चतरा जाति बागडी निवासी भीमपुरा माताजी तह0 दीगोद

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद।

5– सरपंच ग्राम पंचायत पोलाईकलां प0स0सुल्तानपुर,जिला कोटा।

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री सुनिल महर्षि (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री मेधराज सिह शक्तावत (अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क.3)

<u>**अपील विरूद्व आदेश न्यायालय तहसीलदार दीगोद आदेश**</u>

<u>**दिनांक 5.3.2011 नामान्तकरण संख्या 297 अ0धा0 75 भू0राजस्व अधिनियम**</u>

निर्णय_ **दिनांकः–** 16/10/25

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने ग्राम पोलाईखुर्द तह0 दीगोद जिला कोटा की ख.न.535 की 0.13 है0 भूमि उसके पूर्व खातेदार रामकुवांर पुत्र चतरा जाति बागडी निवासी ग्राम भीमपुरा माताजी तह0 दीगोद जिला कोटा से जर्ये इकरानामा द्वारा कय की थी उनसे खरीद से कब्जा ले लिया था जिस पर हर वर्ष फसल करने लगी थी। प्रार्थीया के पति एवं प्रार्थीया की बीमारी के कारण उक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट कम 2 को मुनाफें पर दी थी। इस हेतु वह कोटा की अदालत मे ले गया जहा पर उसने एक कागज पर मुझसे हस्ताक्षर करा लिये, बाद में उस व्यक्ति ने मुझे काश्त नही करने दिया। अपीलान्ट द्वारा नकल दिनांक 26.8.2015 को प्राप्त हुई। इसलिए प्रथम जानकारी से प्रार्थीया की अपील अवधि मध्य है। वेसे प्रार्थीया दिनाक 5.10.2011 से आज तक

अति. जिला कलक्टर
कोटा

निरन्तर बुढापे की एवं बीमारी के कारण बोनाफाइड है। इसलिए कानून मे क्षमा योग्य है। धारा 5 का प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि अपीलांट के पक्ष में व रेस्पोडेन्ट के विरूद्व अपील स्वीकार कर इंतकाल न. 297/15 दिनांक 5.3.2011 को सव्यय खारिज किया जावे।

अपीलाण्ट द्धारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 3 की ओर से अभिभाषक श्री मेधराज सिह शक्तावत द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। वकील रेस्पोडेन्ट क्रम 3 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र के प्रथम पैरा में जिस प्रकार वर्णित है अस्पष्ट है और स्वीकार नही है। प्रार्थीया द्वारा अपील देरी से पेश करने के संबध में कोई ठोस कारण अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित नही किए है न ही अपील देर से पेश करने का कोई उचित कारण दर्शाया है। प्रार्थीया द्वारा धारा 5 के प्रावधानो की पालना नही की है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही, ओर अपील अन्दर मियाद समाप्त किए जाने योग्य नही है। शेष रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित रहे।

पत्रावली मे बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त अपील अपीलाण्ट द्धारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 1.10.2015 को पेश की गई है, जो विलम्ब से पेश हुई है। विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर होना अंकित किया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

वकील अपीलांट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट के पक्ष में व रेस्पोडेन्ट के विरूद्व अपील स्वीकार कर इंतकाल न. 297/15 दिनांक 5.3.2011 को सव्यय खारिज किया जावे। वकील रेपोडेन्ट क्रम 3 धारा 5 के प्रार्थना पत्र के जवाब के अलावा कोई बहस नही की गई।

पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण सख्या 297 दिनांक 5.3.2011 जर्ये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र मुख्तार आम ग्राम पंचायत पोलाईकलां द्वारा केता के पक्ष में स्वीकृत किया गया है । ग्राम पंचायत कोरम द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण की अपील न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नही होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा
अति. जिला कलक्टर
कोटा